बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 314/2020

इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश–पत्र समिति के वेबसाईट पर जारी करने तथा उसे डाउनलोड कर परीक्षार्थी को वितरण कराने के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2021 के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, शिक्षण संस्थानों के प्रधान, प्रायोगिक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2021 **दिनांक–09.01.2021 से दिनांक 18.01.2021** तक निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर संचालित होगी। प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं का प्रवेश–पत्र **समिति के वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जारी किया गया है, जो दिनांक–09.01.2021 तक अपलोड रहेगा।**

2. +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि अपने शिक्षण संस्थान से प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश–पत्र समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड के आधार पर समिति के उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित परीक्षार्थियों को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे तथा डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के आधार पर एक समेकित विवरण पंजी भी संधारित कर सुरक्षित रखेंगे।

3. इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान से सम्पर्क कर अपना प्रवेश–पत्र (शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त) प्राप्त कर लेंगे तथा परीक्षा के लिए निर्धारित **तिथि 09.01.2021 से 18.01.2021** तक की अवधि में केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्धारित तिथि/पाली में अपने प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। यह प्रवेश–पत्र मात्र प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु जारी किया जा रहा है। सैद्धान्तिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश–पत्र अलग से जारी किया जाएगा।

4. **यह प्रवेश–पत्र केवल उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में उत्प्रेषित/उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए ही मान्य होगा। उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में गैर–उत्प्रेषित/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित छात्र/छात्रा प्रायोगिक परीक्षा, 2021 में कदापि सम्मिलित नहीं होंगे।**

5. **+2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान को निदेश दिया जाता है कि जो छात्र/छात्रा +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में गैर–उत्प्रेषित (Non Sent-up)/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित हैं, उनका प्रवेश–पत्र (Admit Card) किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। इस निर्देश की उपेक्षा करते हुए यदि किसी शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किसी भी गैर–उत्प्रेषित (Non Sent-up)/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित छात्र/छात्रा का प्रवेश–पत्र जारी कर दिया जाता है, तो इसे घोर अनियमितता मानते हुए समिति द्वारा मामले को अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के लिए परीक्षार्थी तथा संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान जिम्मेवार होंगे।**

6. जिन छात्र/छात्रा का इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने हेतु शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन सूचीकरण/परीक्षा आवेदन भरा गया है, लेकिन उन छात्र/छात्रा का ऑनलाइन सूचीकरण/परीक्षा आवेदन भरे जाने के मद में निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा नहीं किया गया है या कम शुल्क जमा किया गया है, वैसे छात्र/छात्रा का प्रवेश–पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। **इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान जिम्मेवार होंगे।** वैसे छात्र/छात्रा जिनका सूचीकरण/परीक्षा आवेदन भरे जाने के मद में शुल्क जमा नहीं है वैसे छात्र/छात्रा का यदि बकाया शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा कर दिया जाता है, तो परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व उनका प्रवेश–पत्र जारी किया जा सकता है।

7. **दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक (Writer) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई हेतु निर्देशः–** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक- F.No 34-02/2015-DD III दिनांक–29-08-2018 द्वारा संसूचित प्रावधान के आलोक में दिव्यांग परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु निम्नांकित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है :–

i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(r) के अतंर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में राईटर की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

ii) दिव्यांग परीक्षार्थियों को देश के किसी भी स्थल के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iii) इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा में राईटर हेतु स्वयं राईटर लाने का विकल्प रहेगा, साथ ही जिला स्तर पर भी दिव्यांगता की अलग–अलग कोटि के अनुरूप राईटर का पैनल बनाया जायेगा और दिव्यांग परीक्षार्थियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें राईटर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

iv) दिव्यांगजनो को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह लिखने में शारीरिक रूप से असमर्थ हैं तथा परीक्षा में लेखन हेतु उसे राईटर की आवश्यकता है। उक्त प्रमाण पत्र का प्रपत्र APPENDIX-I के रूप में निम्नांकित है :–

APPENDIX-I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs …………..(name of the candidate with disability), a person with ………. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o …………………….. a resident of …. (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a

Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place :
Date:

Note;
Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor Disability – Orthopaedic specialist/PMR)

v) इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के लिए राईटर की योग्यता मैट्रिक से कम नहीं होगी, साथ ही इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित योग्यता/दिव्यांग परीक्षार्थी की योग्यता से अधिक नहीं होगी। यदि परीक्षार्थी स्वयं अपना राईटर लाते हैं तो उन्हें निम्नांकित APPENDIX-II में दिये गये प्रपत्र में UNDERTAKING देना होगा तथा उल्लेख करना होगा कि राईटर की योग्यता परीक्षार्थी के योग्यता से एक STEP न्यून है।

APPENDIX-II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I………. , a candidate with ……… (name of the disability) appearing for the ………. (name of the examination) bearing Roll Code……………., Roll No……….: at ………(name of the centre) in the District………. (name of the State). My qualification is……..,

I do hereby state that…... (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ………. in case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the Candidate with Disability)

Place:

Date:

vi) जिला पैनल से राईटर प्राप्त करने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा के 2 दिन पूर्व राईटर से मिलने की अनुमति होगी ताकि परीक्षार्थी को राईटर की उपयुक्तता जानने का अवसर प्राप्त हो सके।

vii) आकस्मिकता की स्थिति में राईटर को बदलने की सुविधा होगी। भाषा एवं साहित्य विषयों के लिए अलग–अलग छात्रों की परीक्षा हेतु एक से अधिक राईटर रखने की अनुमति होगी, किन्तु प्रति विषय एक ही राईटर रखने की अनुमति होगी।

viii) राईटर की सुविधा लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त समय देय होगा।

ix) दिव्यांग परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु यथासंभव परीक्षा में उनके बैठने की व्यवस्था भूतल (Ground Floor) पर किया जायेगा एवं तदनुसार ही परीक्षा में बैठने की योजना (Seating Plan) तैयार किया जायेगा।

8. यहाँ यह विशेष रूप से अंकनीय है कि राज्य में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत किये गये हैं, जिससे सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अवगत हैं। इस परिदृश्य में उपर्युक्त कार्य के दरम्यान सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधान कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए छात्र/छात्रा को प्रवेश–पत्र प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त संख्या में काउन्टर लगवायेंगे और, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश–पत्र प्राप्त करने के लिए उपस्थित होने वाले छात्र/छात्राएँ पर्याप्त आपसी दूरी पर पंक्तिबद्ध रहकर प्रवेश–पत्र प्राप्त करेंगे। प्रत्येक काउन्टर पर सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। शिक्षण संस्थान के प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्र/छात्राओं को प्रवेश–पत्र प्राप्त कराने के क्रम में अनावश्यक भीड़ न हो तथा उपस्थित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक यत्र–तत्र न थूकें एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए पूरे अनुशासित तरीके से अपने–अपने प्रवेश–पत्र को निर्दिष्ट काउन्टरों से प्राप्त करें।

9. ऑनलाइन प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाईन नं0–0612–2230039 एवं 2235161 पर सूचित कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

18.12.20

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

C:\Users\Admin\Desktop\Vigyapti 18-12-2020 Regarding Admit Card of Practical Exam2021.docx3

ज्ञापांक :— BSEB(SS)/KEN/...1124.../2020 पटना, दिनांक :— ...18.../...12.../2020

प्रतिलिपिः 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक, आई०टी०/सिस्टम एनालिस्ट (उ०मा०) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को **B.S.Ex.B. Mobile App** के प्रयोगिक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षकों, सभी +2 स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा सभी परीक्षार्थी के खण्ड में डाल दिया जाए।

3. निदेशक, आई०टी०, विशेष कार्य पदाधिकारी तथा परीक्षा नियंत्रक (मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18.12.20

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

18/12/20 18.12.20